# सेवा कर

**I. निम्नलिखित विनिर्दिष्ट सेवाओं पर सेवा कर अधिरोपित किया जा रहा है:**

(1) रेल द्वारा मालों के परिवहन में प्रदान की गई सेवा

(2) (i) तटीय स्थोरा, और (ii) राष्ट्रीय जलमार्गों सहित अंतरदेशीय जलमार्गो के माध्यम से मालों के परिवहन के संबंध में प्रदान की गई सेवा

(3) विधिक परामर्श सेवा

(4) प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य-चिकित्सा सेवा

उपरोक्त परिवर्तन, वित (सं.2) विधेयक, 2009 के अधिनियमन के पश्चात अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगें।

**II. कतिपय विद्यमान सेवाओं की परिधि को निम्नानुसार विस्तारित या परिवर्तित किया जा रहा है:**

(1) कारबार सहायक सेवा (बीएएस) की परिभाषा का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि केवल वही प्रक्रियाएं, जिनके परिणामस्वरूप उत्पाद शुल्क्य मालों का (जोकि केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम में परिभाषित हैं) विनिर्माण होता है, बीएएस के विस्तार क्षेत्र से अपवर्जित हैं।

(2) "सूचना प्रौद्योगिकी सोफ्टवेयर सेवा" की परिभाषा का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि "अर्जन करना" शब्दों (जो परिभाषा के क्रम स.(iv) और (v) में आते हैं) के स्थान पर "प्रदान करना" शब्द रखे जा सकें। इस संशोधन को 16.05.2008 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है।

(3) स्टॉकब्रोकर (स्टॉकब्रोकर सेवा में) की परिभाषा का संशोधन किया जा रहा है, जिससे कि उपदलाल को इसकी परिधि से अपवर्जित किया जा सके। इसके परिणामस्वरूप उपदलाल सेवा कर के विस्तार क्षेत्र से बाहर होंगे।

उपर्युक्त परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 के अधिनियमन के पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होंगे।

**III. अधिनियम में संशोधन**

1. वित्त अधिनियम, 1994 का निम्नलिखित के लिए संशोधन किया जा रहा है:-

   (क) धारा 84 के अधीन विहित पुनरीक्षण प्रक्रिया का उत्सादन तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क प्रक्रिया के समान सेवा कर के मामलों में आयुक्त (अपील) के समक्ष विभागीय अपीलों की प्रक्रिया विहित करना। तदनुसार, आयुक्त द्वारा पुनरीक्षण से संबंधित धारा 84 को उपांतरित किया जा रहा है तथा धारा 86 में पारिणामिक संशोधन किए जा रहे हैं। लंबित मामलों के संरक्षण हेतु एक व्यावृति खड का उपबंध किया जा रहा है।

   (ख) सेवा प्रदान करने के स्थान तथा सेवा कर की दर के अवधारण हेतु सुसंगत तारीख के संबंध में नियम विरचित करने के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करना।

उपर्युक्त परिवर्तन वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 के अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होगे।

**IV. नियमों और विद्यमान अधिसूचनाओं में संशोधन**

(1) अधिसूचना संख्याक 1/2002-एस.टी. तारीख 01.03.2002 के दायरे को भारत की संपूर्ण कांटीनेंटल शेल्फ तथा भारत के विशिष्ट आर्थिक जोनों में प्रतिष्ठापनों, संरचनाओं और जलयानों तक सेवा के उपबंधों को लागू कर विस्तृत किया जा रहा है।

(2) सैनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6(3) का यह विहित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है- कि कराधेय तथा छूट प्राप्त सेवाओं, दोनों का कोई प्रदाता, जो इनपुट का पृथक लेखा नहीं रखता, छूट प्राप्त सेवाओं के 8% के बजाय मूल्य के 6% के बराबर रकम का संदाय करेगा।

(3) सैनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 3 (5ख) को यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया जा रहा है कि कोई सेवा प्रदाता पूर्णतः बट्टे खाते वाले इनपुट/पूंजी माल पर लिए गए प्रत्यय की रकम का वापस संदाय करेगा।

(4) संकर्म संविदा नियम, 2007 में उपबंधित स्पष्टीकरण को उपांतरित किया जा रहा है जिससे कि वैकल्पिक संघटक स्कीम के फायदों को केवल ऐसी संदर्भ संविदाओं को अनुज्ञात किया जा सके जहां कर दाता "संदर्भ संविदा के लिए भारित सकल मूल्य" के रूप में संदर्भ संविदा करने में प्रयुक्त मालों (चाहे प्रतिकूल के लिए किसी अन्य संविदा के अधीन आपूर्ति की गई हो या अन्यथा) तथा सेवाओं का संपूर्ण मूल्य घोषित करता है। यह निर्बंधन विद्यमान संकर्म संविदाओं को लागू नहीं होगा जहां 07.07.2009 को या उसके पूर्व या तो प्रतिपाटन प्रारंभ हो गया है या कोई संदाय कर दिया गया है।

ऊपर क्रम संख्यां (1) से (4) तक वर्णित परिवर्तन 07.07.2009 से तुरन्त प्रभावी होंगे।

(5) अधिसूचना संख्यांक 1/2009-एस.टी.तारीख 5.1.2009 (माल परिवहन अभिकरण सेवा से संबंधित) को भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है। यह उपबंध वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2009 द्वारा प्रभावी किया जा रहा है तथा यह उक्त अधिनियम के अधिनियमन से प्रभावी होगा।

## V. छूटें

(1) विनिदिष्ट शर्तों के साथ "संविदा वाहन परमिट" धारण करने वाले यात्रियों को अंतर-राज्य या अन्तरराज्जीय परिवहन प्रदान करने वाले यानों को सेवा कर से छूट प्रदान की जा रही है।

(2) भारत निर्यात संगठन महासंघ (एफआईईओ) और विनिर्दिष्ट निर्यात संवर्धन परिषदों को सेवा कर (क्लब और संगम सेवा के अधीन उद्ग्रहणीय) से छूट प्रदान की जा रही है। यह छूट 31.03.2010 तक विधिमान्य है।

(3) अनुसूचित बैकों के बीच विदेशी मुद्रा के अंतर-बैंक क्रय और विक्रय के लिए सेवा कर (बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाओं या विदेशी मुद्रा दलाली सेवा के अधीन उद्ग्रहणीय) से छूट प्रदान की जा रही है।

उपरोक्त परिवर्तन तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

## VI. नियार्तकों के लिए प्रतिदाय स्कीम

अधिसूचना संख्यांक 41/2007-एसटी तारीख 6.10.,2007 सेवाओं पर संदत्त सेवा कर के प्रतिदाय के लिए उपबंध करती है, जो, यद्यपि, इनपुट सेवाओं की प्रकृति की नहीं है, माल के निर्यात से संबंधित है। निर्यातकों को शीघ्र प्रतिदाय सुनिश्चित करने के लिए स्कीम का पुनरुद्धार किया जा रहा है। नई स्कीम की प्रमुख विशेषताओं को दो अधिसूचनाओं, दोनों की तारीख 07.07.2009 है, के अधीन अधिसूचित किया जा रहा है, वे निम्नलिखित हैं:-

(क) दो कराधेय सेवाएं अर्थात; सड़क के माध्यम से माल का परिवहन और "विदेशी अभिकर्ताओं को संदत्त कमीशन को सेवा कर के उद्ग्रहण से छूट दी गई है, यदि निर्यातक विपरीत प्रभार आधार पर सेवाकर का संदाय करने का दायी है। तथापि, चूंकि कमीशन अभिकरण प्रभार पर वर्तमान 10% की सीमा को बनाए रखा गया है, निर्यातक को कमीशन की रकम पर सेवाकर, जो 10% से अधिक है, का संदाय करना होगा।

(ख) अधिसूचना सं.41/2007-एसटी तारीख 6.10.2007 को अधिक्रांत करते हुए अधिसूचित की गई पुनरीक्षित प्रतिदाय स्कीम निम्नलिखित विहित करती है—

- "टर्मिनल हथालन प्रभार" को पात्र सेवाओं की सूची मे जोड़ा जा रहा है।
- प्रतिदाय दावा फाइल करने की समय अवधि को निर्यात की तारीख से एक वर्ष तक बढ़ाया जा रहा है। एक तिमाही मे एकबार प्रतिदाय दावे फाइल करने की शर्त को भी समाप्त किया जा रहा है। अब प्रत्येक निर्यात के पश्चात निर्यातकर्ता किसी भी समय प्रतिदाय दावा फाइल कर सकता है।
- प्रतिदाय दावे फाइल करने के लिए सरलीकृत प्ररूप विहित किया जा रहा है।
- प्रतिदायों की त्वरित मंजूरी और संवितरण सुनिश्चित करने के लिए स्वप्रमाणन प्रांरभ किया जा रहा है। उस अवस्था में जहां, प्रतिदाय दावे की कुल रकम दावे के अधीन निर्यातों के कुल पोत पर्यन्त मूल्य के 0.25% से अनधिक है, वहां निर्यातकों द्वारा स्वप्रमाणन सुसंगत दस्तावेजों पर उस प्रभाव के (i) पात्र सेवाएं उसके द्वारा प्राप्त कर ली गई हैं:- (ii) उन पर संदेय सेवाकर की प्रतिपूर्ति कर दी गई है; और (iii) ऐसी सेवाओं का निर्यात के लिए उपयोग किया गया है, पर्याप्त होगा। प्रतिदायों को पूर्व संपरीक्षा के बिना एक मास से भीतर अनुदत्त किया जाएगा।
- उन मामलों मे जहां निर्यात का पोत पर्यन्त मूल्य प्रतिदाय दावे की रकम के 0.25% से अधिक है, वहां निर्यातक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ऐसे चार्टड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित होना चाहिए जो वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा करता है। ऐसे प्रमाणन के आधार पर, प्रतिदाय दावा किसी पूर्व संपरीक्षा के बिना एक मास के भीतर स्वीकृत किया जाएगा।